निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श0)
(सं0 पटना 409) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

2 जुलाई 2020

सं० एल0जी0-01-11/**2020/4031/लेज**—भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल **दिनांक 2 जुलाई,** 2020 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

(बिहार अध्यादेश संख्या-06, 2020)

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को संशोधित करने हेतु अध्यादेश **प्रस्तावना** :– चूंकि वर्तमान में कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

और, चूँकि बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है,

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि राष्ट्रपति से इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है :

इसलिए, अब भारत–संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

	अध्याय–1 **प्रारंभिक**	
	1. (1) इस अध्यादेश को ठेका श्रम(विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
	(2) यह तुरंत प्रवृत होगा।	
(1970 का अधिनियम संख्यांक 37)	**अध्याय–2** **ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में संशोधन**	
	2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के धारा–1 के उपधारा (4)–	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में संशोधन
	(i) उपधारा (a) में शब्द ''बीस'' को शब्द ''पचास'' से प्रतिस्थापित किया जाता है; और	
	(ii) उपधारा (b) में शब्द ''बीस'' को शब्द ''पचास'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।	

पटना
दिनांक 2 जुलाई 2020

फागू चौहान,
बिहार राज्यपाल।

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना
दिनांक 2 जुलाई 2020

फागू चौहान,
बिहार राज्यपाल।

---

2 जुलाई 2020

सं० एल0जी0-01-11/2020/4032/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा **dated- 2nd July, 2020** को प्रख्यापित **ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-06, 2020)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

[Bihar Ordinance No. 06, 2020]

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION)
(BIHAR AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

AN
ORDINANCE

(An Ordinance further to amend the contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1970)

Whereas, the Covid-19 pandemic has deteriorated the Industrial and Economic activities in the State of Bihar and for providing impetus to the Industrial and Economic activities in the State, it is important to provide new opportunities for Industrial investment in the State;

Whereas, the Legislative Assembly and Council of the State is not in Session;

And whereas, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas, the instruction from the President is received to promulgate this Ordinance:

Therefore, the Governor, in exercise of the powers conferred on him under article 213 of the Constitution hereby, promulgates this Ordinance in the Seventy-first year of the Republic of India as follows :-

	CHAPTER I PRELIMINARY	
	1. (1) This Ordinance may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Bihar Amendment) Ordinance, 2020	Short title and commencement.
	(2) It shall come into force at once.	
	CHAPTER II AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT	
37 of 1970	In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in section 1, in sub-section (4),-	Amendment of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,
	(i) in clause (a), for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted, and	
	(ii) in clause (b), for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted.	

Patna
Dated 2nd July 2020

Phagu Chauhan,
Governor of Bihar.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 409-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in